भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 3123

गुरुवार, 11 जुलाई, 2019/20 आषाढ़, 1941 (शक)

सड़क दुर्घटनाएं

3123. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोशः
श्री वी. के. श्रीकंदनः
श्री राजीव प्रताप रूडीः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रति वर्ष लगभग 1,50,000 लोगों की मौत होती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्व स्वास्थय संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष 2,99,000 से अधिक लोगों की मौतें हो रही हैं तथा यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हो रही है तथा यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और उनमें कितने लागों की मौतें हुई हैं;

(ङ) सरकार द्वारा देश में उक्त दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(च) सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु इंजीनियरिंग शिक्षा, प्रवर्तन, निगरानी और आपातकालीन देखभाल मानकों का समाधन करने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सड़क यातायात संबंधी चोटों का विश्लेषण करता है। मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सड़क दुर्घटनाओं के नवीनतम आंकड़े कैलेंडर वर्ष 2017 के लिए हैं। पिछले तीन कैलेंडर वर्षों अर्थात 2015 से 2017 के दौरान भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है:-

वर्ष	सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों की संख्या
2015	146133
2016	150785
2017	147913

(ख): वर्ष 2016 के लिए सड़क दुर्घटना संबंधी आंकड़ों के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित सड़क सुरक्षा वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत उन अग्रणी देशों में से एक है जहां सड़क दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है।

(ग): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों द्वारा सूचित किए गए सड़क दुर्घटना संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015 के बाद से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है। वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में सड़क दुर्घटनाओं में 4.14% की कमी आई और वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटनाओं में 3.28% की कमी आई। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2015-2016 और 2017 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	सड़क दुर्घटनाएँ	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
2015	501,423	
2016	480,652	-4.14
2017	464,910	-3.28

सड़क दुर्घटनाएं अनेक कारणों से होती हैं जैसे कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग, शराब पीकर/नशे में वाहन चलाना, अधिक भार से लदे वाहन, प्रकाश की खराब स्थिति, रेड लाइट को पार करना, अति गति में वाहन चलाना, ओवरटेकिंग, नगर निकायों की लापरवाही, मौसम की परिस्थिति, गलत दिशा में वाहन चलाना, सड़क की खराब हालत, मोटर वाहन की स्थिति में खराबी, साइकिल चालक की गलती, पैदल-यात्री की गलती आदि हैं।

(घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं और मारे गए व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्रमश: **अनुलग्नक I** और **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

(ड.) एवं (च): मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने, सड़क अवसंरचना में सुधार करने, जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने, प्रर्वतन को मजबूत करने एवं अभिघात मामला सहायता कार्यक्रम को सुचारु बनाने के लिए बहु-आयामी प्रयास किए हैं।

सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई मुख्य पहलें निम्नानुसार हैं:

i जागरुकता पैदा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर समर्थन/प्रचार अभियान।

ii गुड स्मारिटन की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी करना।

iii राज्यों में आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना।

iv स्वचालित प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए 22 परीक्षण और प्रमाणीकरण केंद्र की संस्वीकृति।

v सरकार ने राजमार्ग प्रयोक्ताओं के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिसका नाम “सुखद यात्रा 1033” है। इससे राजमार्ग प्रयोक्ता दुर्घटनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के गड्ढों और अन्य सुरक्षा खतरों की शिकायत कर सकते हैं।

vi राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क प्रयोक्ताओं के बीच सुरक्षित व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है।

vii सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन के एक अभिन्न भाग के रूप में बनाया गया है।

viii राष्ट्रीय राजमार्ग की चार लेनिंग के लिए शुरुआत को 15,000 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से घटाकर 10,000 पीसीयू कर दिया गया है।

ix वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों में सुधार किए गए हैं।

x राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉटों (दुर्घटना संभावित स्थलों) के अभिनिर्धारण और दोष निवारण को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

xi मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोष निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अभिनिर्धारित सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉटों के दोष निवारण के लिए विस्तृत प्राक्कलनों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को तकनीकी अनुमोदन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है।

xii दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्री सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश भी सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं।

xiii भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) ने सड़क सुरक्षा संपरीक्षकों के लिए एक प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है और 42 संपरीक्षकों के पहले बैच को प्रमाणित किया है।

xiv राजमार्ग पर चलने वाले ट्रक / बस चालकों के लिए नि: शुल्क नेत्र जांच शिविर और चश्मों का वितरण किया जाता है।

xv माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार फाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/309/2016 / एस एंड आर दिनांकित 06-04-2017 और 01-06-2017 के परिपत्र के माध्यम से शराब की दुकानें हटाना।

अनुलग्नक-I

'सड़क दुर्घटनाएं' के संबंध में श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, श्री वी. के. श्रीकंदन और श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा दिनांक 04.07.2019 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 3123 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारत में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या: 2015 से 2017

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	सड़क दुर्घटनाओं की राज्य / संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या		
		2015	**2016**	**2017**
1	आंध्र प्रदेश	24258	24,888	25,727
2	अरुणाचल प्रदेश	284	249	241
3	असम	6959	7435	7170
4	बिहार	9555	8222	8855
5	छत्तीसगढ़	14,446	13580	13563
6	गोवा	4338	4304	3917
7	गुजरात	23,183	21,859	19081
8	हरियाणा	11,174	11234	11,258
9	हिमाचल प्रदेश	3010	3168	3114
10	जम्मू और कश्मीर	5836	5501	5624
1 1	झारखंड	5162	4932	5198
12	कर्नाटक	44011	44403	42,542
13	केरल	39,014	39,420	38,470
14	मध्य प्रदेश	54,947	53,972	53,399
15	महाराष्ट्र	63,805	39,878	35,853
16	मणिपुर	671	538	578
17	मेघालय	606	620	675
18	मिजोरम	70	83	68
19	नगालैंड	54	75	531
20	ओडिशा	10542	10532	10855
21	पंजाब	6702	6952	6273
22	राजस्थान	24072	23,066	22112
23	सिक्किम	219	210	196
24	तमिलनाडु	69,059	71,431	65,562
25	तेलंगाना	21,252	22,811	22,484
26	त्रिपुरा	647	557	503
27	उत्तराखंड	1523	1591	1603
28	उत्तर प्रदेश	32,385	35612	38,783
29	पश्चिम बंगाल	13208	13580	11,631
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	258	238	189
31	चंडीगढ़	416	428	342
32	दादर और नागर हवेली	69	70	67
33	दमन और दीव	70	71	79
34	दिल्ली	8085	7375	6673
35	लक्षद्वीप	3	1	1
36	पुदुच्चेरी	1530	1766	1693
	कुल	**501,423**	**480,652**	**464,910**

अनुलग्नक-II

'सड़क दुर्घटनाएं' के संबंध में श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, श्री वी. के. श्रीकंदन और श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा दिनांक 04.07.2019 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 3123 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या: 2015 से 2017

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की राज्य / संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या		
		2015	2016	2017
1	आंध्र प्रदेश	8297	8541	8060
2	अरुणाचल प्रदेश	127	149	110
3	असम	2397	2572	2783
4	बिहार	5421	4901	5554
5	छत्तीसगढ़	4082	3908	4136-
6	गोवा	311	336	328
7	गुजरात	8119	8136	7289
8	हरियाणा	4879	5024	5120
9	हिमाचल प्रदेश	1096	1271	1203
10	जम्मू और कश्मीर	917	958	926
1 1	झारखंड	2893	3027	3256
12	कर्नाटक	10,856	11133	10,609
13	केरल	4196	4287	4131
14	मध्य प्रदेश	9314	9646	10,177
15	महाराष्ट्र	13212	12935	12,264
16	मणिपुर	139	81	136
17	मेघालय	183	150	182
18	मिजोरम	72	70	60
19	नगालैंड	30	46	41
20	ओडिशा	4303	4463	4790
21	पंजाब	4893	5077	4463
22	राजस्थान	10510	10465	10444
23	सिक्किम	70	85	78
24	तमिलनाडु	15642	17,218	16,157
25	तेलंगाना	7110	7219	6596
26	त्रिपुरा	158	173	161
27	उत्तराखंड	913	962	942
28	उत्तर प्रदेश	17,666	19320	20124
29	पश्चिम बंगाल	6234	6544	5769
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23	17	21
31	चंडीगढ़	129	151	107
32	दादर और नागर हवेली	42	46	43
33	दमन और दीव	42	38	36
34	दिल्ली	1,622	1591	1584
35	लक्षद्वीप	0	1	0
36	पुदुच्चेरी	235	244	233
कुल		**146,133**	**150,785**	**147,913**

*****